न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौशाम्बी।
मुकदमा संख्या–5878/2025
सरकार बनाम राकेश सोनकर आदि

अ०सं०–353/2023
धारा–147, 504, 506, 427 भा०द०
थाना–सैनी
जिला–कौशाम्बी

दिनांक–10.03.2026

पत्रावलली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.03.2026 मय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–528 बी०एन०एस०एस० रिट याचिका संख्या–47384/2025 में पारित आदेश दिनांकित 28.01.2026 प्रस्तुत कर वाद उपरोक्त में उचित आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में मा० न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें प्रार्थी को फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया था तथा मा० न्यायालय द्वारा प्रार्थी को तलब भी किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अंतर्गत 528 बी०एन०एस०एस० रिट याचिका नं०–47384/2025 सुमित सोनकर उर्फ हिमांशु बनाम उ०प्र० सरकार आदि योजित किया जिसमें मा० उच्च न्यायालय द्वारा 28.01.2026 को आदेश पारित कर प्रार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र को निरस्त कर दिया, जिसकी छायाप्रति मूल रूप में प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की जा रही है। अतः मा० उच्च न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि रिट याचिका सं०–47389/2025 सुमित सोनकर उर्फ हिमांशु बनाम उ०प्र० सरकार आदि में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 के अनुपालन में उचित आदेश पारित करने की कृपा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.01.2026 व प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 10.03.2026 का सम्यक परिशीलन किया।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 528 बी०एन०एस०एस० संख्या–47384/2025 दिनांकित–28.01.2026 में यह आदेश पारित किया गया है कि–In view of the aforesaid facts and circumstances as well as considering the provisions of Section 468(2) Cr.P.C., chargesheet dated 16.09.2023 and summoning order dated 23.09.2025 along with entire proceedings of Case No. 5878 of 2025 (State Vs. Rakesh Sonkar and Others), arising out of Case Crime No. 353 of 2023 under Sections 147, 427, 504, 506 IPC, Police Station

Saini, District Kaushabmi, pending in the court of learned Chief Judicial Magistrate, Kaushambi, are hereby quashed.

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.01.2026 द्वारा प्रस्तुत वाद की कार्यवाही को अपास्त कर दिया गया है। पत्रावली पर संलग्न उक्त आदेश का सत्यापन कम्प्यूटर अनुभाग से कराया गया। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में प्रस्तुत प्रकरण को अग्रेतर लम्बित रखने का कोई औचित्य नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रस्तुत मामले की कार्यवाही समाप्त करते हुए पत्रावली नियमतः दाखिल दफ्तर अभिलेखागार की जाती है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कौशाम्बी।

Digitally signed by Saumya Giri
Date: 2026.04.07 15:33:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court